

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेमक,

ऑफिस नाथ आर्य
उप सचिव,

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

29/06/10

विषय : डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, डेहरी पटना रोड, डालमियानगर, डेहरी ऑनसोन, रोहतास को
अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्गत करने के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में गिदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-230, दिनांक-03.04.2006 के अन्तर्गत में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त जी० प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, डेहरी पटना रोड, डालमियानगर, डेहरी ऑनसोन, रोहतास को सी० वी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।


समिति की अनुशंसा के अन्तर्गत में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय ने किसी निरक्षित सोसाइटी/न्यास के फंडाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को सी० वी० एस० ई० के मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपकरण, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक कि नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परंतु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई हो। विद्यालय में 19 (उननीस) शिक्षक हैं। सी० वी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रतिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकवण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आन्तरिक के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० वी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-230, दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में दायता का 25 प्रतिशत भागका फंडोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे दृष्टान्त शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में


Principal
L.A.V. PUBLIC SCHOOL
Dehri-Patna Road, Daimianagar
Dehri-On-Sone
Aff. No.-330333


Manager
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
Dehri-Patna Road, Daimianagar
Dehri-On-Sone

अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रूपया प्रतिवर्ष होगी, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/फैट जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/क०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी० डी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही नोट्स का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहायता के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित भातों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख का प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। भातों के उल्लेख की स्थिति में अनापति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-40, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विचार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, डेहरी पटना रोड, डालमियानगर, डेहरी ऑनसोन, रोहतास को सी० डी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासनामजन

ह०/-
(ओंकार नाथ आर्य)
उप सचिव

ज्ञापक

552

दिनांक

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास को उनके पत्रांक 473 दिनांक 28.04.2010 के प्रसंग में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्याार्थ प्रेषित।

ह०/-
(ओंकार नाथ आर्य)
उप सचिव

ज्ञापक

552

दिनांक

29/06/10

प्रतिलिपि : प्रचारार्थ, डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, डेहरी पटना रोड, डालमियानगर, डेहरी ऑनसोन, रोहतास को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्याार्थ प्रेषित।

(ओंकार नाथ आर्य)
उप सचिव

Principal
L.A.V. PUBLIC SCHOOL
Dehri-Patna Road, Dalmianagar
Dehri-On-Bone
Aff. No.-330333

Principal
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
Dehri-Patna Road, Dalmianagar